भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1108

उत्तर देने की तारीख : 29-07-2015

वन अधिकार अधिनियम से सहमति खंड को हटाया जाना

1108. डा॰ टी॰ एन॰ सीमाः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार यह महसूस करते हुए कि मौजूदा वन अधिकार अध्नियम औद्योगिक, खनन और विकास परियोजनाओं के लिए अवरोध का कार्य कर रहा है, सहमति खंड को हटाना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा वनों के संरक्षण और प्रबन्ध अधिकार सहित जनजातीय लोगों और उनकी सामुदायिक संस्थाओं को सांविधिक प्राधिकार प्रदान करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री मनसुखभाई धांजीभाई वसावा)

(क) : जी, नहीं। सरकार ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) के किसी प्रावधान को समाप्त नहीं किया है।

(ख) : उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, कारण का उल्लेख करने का प्रश्न नहीं उठता। इस मंत्रालय ने वन अधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) तथा इसके प्रबंधन को मान्यता देने तथा प्रदान किए जाने के संबंध में वन अधिकार अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस बात पर बल दिया गया है कि वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(1)(i) तथा धारा 5 के अनुसार, सामुदायिक वन संसाधन की सुरक्षा, पुनः सृजन अथवा संरक्षण या प्रबंध करने के लिए प्राधिकरण वन अधिकार नियमावली 4(1)(ङ) के तहत गठित वन्य जीवन, वन एवं जैव विविधता की सुरक्षा के लिए गठित समिति के साथ ग्राम सभा है।

(ग) : उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*